राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी– सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या – 04/2022
जीसीएमएस नम्बर – 2022/19

1. रामकिशन कुल्हार पुत्र महेश कुमार जाति जाट निवासी कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं

..........वादी

बनाम

1. मन्जु पत्नी फुलप्रकाश जाति जाट निवासी मन्दौला तहसील व जिला चरखीदादरी हरियाणा
2. रामरति देवी पत्नी स्व0 महेश कुमार जाति जाट निवासी कुहाड़वास तह0 बुहाना जिला झुंझुंनू राज.
3. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा कुहाड़वास तह0 बुहाना जिला झुंझुंनू राज. जरीय शाखा प्रबन्धक
4. राजस्थान सरकार जरीय तहसीलदार तहसील बुहाना जिला झुंझुंनू राज.

..........प्रतिवादीगण

दावा खाता विभाजन

–::निर्णय::–

दिनांक :– 29/9/22

वादी ने वाद–पत्र पेश कर अनुतोष चाहा है कि–

(1). यह कि ग्राम कुहाड़वास स्थित हाल जमाबन्दी अनुसार खाता संख्या 382 के खसरा न0 839/16 रकबा 0.34 हैक्टर मे वादी का हिस्सा 03/17 का खाता विभाजन कर अलग से रिकार्ड कायम कर तदानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जाने का आदेश देने की कृपा करे।

(2). यह कि पक्ष वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण दावा डिकी किया जावे तथा अन्य कोई अनुतोष जो वादी का पक्ष का हो और न्यायोचित हो वह वादी को दिलवाया जाने का आदेश देने की कृपा करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.01.03 16:45:49 IST
Reason: SelfAttested

दावा दर्ज रजिस्टर कर तलबी [illegible] की गई। प्रतिवादी सं0 1 ने इकबालिये जबाब दाया मय प्रतिदावा पेश किया उनकी ओर से श्री संजय जांगिड़ एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया गया। शेष प्रतिवादीगण की बाद सम्यक तामील के अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

प्रतिवादी सं0 1 ने इकबालिये जबाव दावा प्रस्तुत कर प्रतिदावा निम्न प्रकार पेश है–

(क) कि वाके ग्राम कुहाड़वास स्थित हाल जमाबन्दी अनुसार खाता संख्या 382 के खसरा नं. 839/16 रकबा 0.34 है0 में वादी का हिस्सा 03/17 का खाता विभाजन कर अलग से रिकॉर्ड कायम कर तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाता है तो मुझे कोई आपति नही है।

खाता विभाजन खातेदार का काश्तकारी अधिकार है। न्यायालय वाद वादीगण एवं प्रतिदावा बाबत खाता व लगान विभाजन प्राथमिक डिक्री दिनांक 17.07.2022 को किया जाकर तहसीलदार बुहाना को कुर्रेजात प्रस्ताव हेतु लिखा गया। तहसीलदार बुहाना से कुर्रेजात रिपॉर्ट दिनांक 10.08.2022 को प्राप्त हुई । अधिवक्ता वादी ने न्यायालय हाजा उपस्थित होकर निवेदन किया हैं कि तहसीलदार बुहाना द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर हम सहमत हैं, मुताबिक विभाजन प्रस्ताव हमारा विभाजन किया जावे। अतः वाद वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

–:: आदेश ::–

न्यायालय वाद वादी व प्रतिदावा डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम कुहाड़वास तहसील बुहाना स्थित हाल खाता संख्या 382 के खसरा न0 839/16 रकबा 0.34 है0 भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। विभाजन प्रस्ताव "'अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट,
जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
जिला झुन्झुनूं (राज.)

निर्णय आज दिनांक 29/9/22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.01.03 15:45:49 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

मूल वाद में प्राथमिक डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी– सुनील कुमार चौहान आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं:–04/2022
जीसीएमएस नम्बर – 2022/19
निर्णय दिनांकः– 29/9/22

रामकिशन **बनाम** मन्जु आदि

दावा खाता विभाजन

वादी की ओर से **श्री रामस्वरुप यादव एडवोकेट** की उपस्थिति में व प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से **श्री संजय जांगीड़ एडवोकेट** की उपस्थिति व शेष प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 29/9/22 को **श्री सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

" न्यायालय वाद वादी व प्रतिदावा डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम कुहाड़वास तहसील बुहाना स्थित हाल खाता संख्या 382 के खसरा न0 839/16 रकबा 0.34 है0 भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव ""अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। "
खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 29/9/22 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.01.03 15:45:49 IST
Reason: SelfAttested